

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

भस्मगिरीजी आश्रम भवन जरिये सुमित्रागिरी जी महाराज मारु कुम्हार, निवासी- वेरा रामपुरा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 07/2018

“अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956”

उपस्थिति:


1. अधिवक्ता श्री अश्विन कुमार मण्डिया, अपीलार्थी की ओर से
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही

-: निर्णय :-

दिनांक 28 मार्च, 2018

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील सहायक वन संरक्षक, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 03/2017 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
- (2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रकरण में प्रत्यर्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही द्वारा उपस्थिति दी गई।
- (3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी के प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करने में विधि में अवैधता बरती है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी के आवेदन पर अपीलार्थी को कृषि वर्ष 2017-18 के दौरान प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी कर भूमि का कब्जा खाली करने व फसल व कब्जा हटाने हेतु आदेश दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच किये बिना व अपने विवेक का उपयोग किये बिना प्रत्यर्थी के आवेदन मात्र पर अपीलार्थी को जब अतिचारी ठहराते हुए नोटिस प्रेषित कर दिया था, तो अपीलार्थी से जवाब तलब करने का कोई औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना की गई कार्यवाही व उस कार्यवाही पर आधारित निर्णय विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि पर अतिचारी नहीं था। प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा गत करीब 30 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार चला आ रहा है। अपीलार्थी द्वारा पहाड़ी पर स्थित काम्बेश्वर जी महादेव मंदिर की व्यवस्था व आने जाने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु आश्रम भवन वर्ष 1990 में बनवाया गया था। प्रश्नगत भूमि पर वन विभाग का कोई

पेज दो पर


सिरोही (राज.)



स्वत्व नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रश्नगत भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होने से पूर्व से ही मौके पर भवन बना हुआ था। इस प्रकार, अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा प्रश्नगत भूमि कथित रूप से प्रत्यर्थी वन विभाग को प्राप्त होने के पहले से चला आ रहा है। प्रत्यर्थी प्रश्नगत भूमि पर कब व किस प्रकार काबिज हुआ है, यह प्रत्यर्थी ने स्पष्ट नहीं किया है। अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि से न तो कभी भी बेदखल किया गया है और न ही प्रत्यर्थी प्रश्नगत भूमि पर कभी भी काबिज ही हुआ है। प्रत्यर्थी ने प्रश्नगत भूमि पर प्रत्यर्थी के कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने में भूल की है। प्रश्नगत भूमि वाले क्षेत्र में महादेवजी का वर्षों पुराना मंदिर बना हुआ है। प्रश्नगत सम्पत्ति वाली भूमि उक्त मंदिर से लगती हुई है। विवादित स्थल प्रत्यर्थी के अधिकारियों व कर्मचारियों की पूर्ण जानकारी तथा मौजूदगी में वर्षों से बना हुआ है। यदि उक्त भूमि प्रत्यर्थी वन विभाग की होना मानता तो वह अपीलार्थी को निर्माण कार्य करने नहीं देता। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि प्रत्यर्थी ने उक्त तथ्यों को नकारा नहीं है और न उन्हें असत्य सिद्ध किया है। अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा प्रत्यर्थी की पूर्ण जानकारी में है। प्रत्यर्थी ने अपने परिवाद की अंतर्वस्तु को स्वयं की साक्ष्य से साबित नहीं किया है एवं परिवाद का समर्थन स्वतंत्र साक्ष्य को प्रस्तुत कर नहीं करवाया है। प्रश्नगत भूमि प्रत्यर्थी में निहित करने बाबत कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी के आवेदन को स्वीकार कर अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि का अतिक्रमी मानने में भूल की है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त AIR 2007(NOC)1852(MAD.)(MADURAI BENCH), 2006 Western Law Cases (Raj.) UC Page 429, RLW 1998(1) Raj. Page 683, 2010 DNJ (SC) Page 376 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि मूल दस्तावेजों के अभाव में फोटो प्रतियों को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी ने भी अधीनस्थ न्यायालय में मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं व संबंधित दस्तावेज की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की हैं जो विधि अनुसार साक्ष्य में ग्रहण नहीं की जा सकती हैं। साक्ष्य में उन्हीं दस्तावेजों को ग्रहण किया जा सकता है, जो मूल दस्तावेज हो अथवा मूल दस्तावेज से तैयार की गई सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि हो। प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रलेखों की फोटो प्रतियों को साक्ष्य विधि अनुसार सिद्ध नहीं किया है जो प्रश्नगत भूमि वन विभाग की होना एवं अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि का अतिक्रमी होना सिद्ध करता हो। कोई प्रलेख प्रस्तुत किये जाने मात्र से उन्हें साक्ष्य में शुमार नहीं किया जा सकता है और न ही उन पर गौर किया जा सकता है, जब तक की उन प्रलेखों को सक्षम साक्ष्य से विधि अनुसार सिद्ध नहीं करवाया हो। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2003 SAR(Civil) Page 804 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि विधि का मान्य सिद्धान्त यह है कि वादी अपने पांवों पर खड़ा रहे अर्थात् उसे अपना वाद सिद्ध करना है एवं उसके पश्चात् ही विपक्षी को अपने बचाव

.....पेज तीन पर



श. वि. जिला कलेक्टर
बिरोही (राज.)



की एवं वादी के वाद को गलत सिद्ध करने की आवश्यकता रहती है। प्रत्यर्थी ने भी अधीनस्थ न्यायालय में अपने परिवाद को सक्षम साक्ष्य से सिद्ध नहीं करवाया है। ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम तो प्रत्यर्थी द्वारा अपना परिवाद खारिज कर देना चाहिये था। अन्यथा भी प्रत्यर्थी के साक्ष्य में उपस्थित न होने के कारण विपरित कयास निकाला जाकर परिवाद खारिज करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि प्रत्यर्थी परिवाद प्रस्तुत करने के बाद न तो अधीन न्यायालय में उपस्थित आया है और न स्वयं को जिरह हेतु प्रस्तुत किया है और न ही अपने परिवाद को सक्षम साक्ष्य से उसने साबित किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रश्नगत भूमि कभी भी वन विभाग की भूमि नहीं रही है। विधि में किसी भूमि का आवंटन किये जाने हेतु उसका रिक्त होना प्राथमिक शर्त है। प्रश्नगत भूमि वन विभाग के नाम से दर्ज होने के पूर्व से ही प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा था एवं मौके पर भवन बना हुआ था, इस कारण से भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। वन विभाग के नाम से प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकॉर्ड में वर्ष 1997 में दर्ज हुई, जबकि मौके पर अपीलार्थी का कब्जा व भवन प्रश्नगत भूमि पर पूर्व से ही बना हुआ था, इस कारण से प्रश्नगत भूमि का वन विभाग के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के काबिल ही नहीं था, क्योंकि उस समय अपीलार्थी भूमि पर काबिज था, इसलिये अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.12.2017 को निरस्त किया जावे एवं प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी संस्था को आवंटित किये जाने के निर्देश दिये जावे। जबकि क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि वन मण्डल, सिरोही के वन खण्ड कानाकोलर की वन भूमि पर अपीलार्थी संस्था द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर भवन का निर्माण किया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी के विरुद्ध सहायक वन संरक्षक, सिरोही के न्यायालय में अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का भलीभांति अध्ययन एवं अवलोकन कर प्रश्नगत भूमि वन विभाग की भूमि होने से अपीलार्थी को प्रश्नगत वन भूमि से बेदखल करने का विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारित किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि वनपाल, नाका पालडी जोड ने वनखण्ड ग्राम कानाकोलर कम्पार्ट मेन्ट नम्बर- 2 खसरा संख्या 82/26 रकबा 0.16 हेक्टेयर अर्थात् 1600 वर्गमीटर भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर भवन निर्माण करने से अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सहायक वन संरक्षक, सिरोही को प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही कोपेज चार पर

श्री. विद्या कलकल
सिरोही (राज.)



सिरोही में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी संस्था के स्वामित्व की होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ.7(51)रेवेन्यू/सं./64 दिनांक 10.4.1964 के अनुसार उक्त भूमि वन विभाग की भूमि है एवं राजस्व रेकॉर्ड में भी उक्त खसरा संख्या 82/26 कुल रकबा 307.12 बीघा किस्म पहाड भूमि वन विभाग (वन खण्ड) सिरोही के नाम से दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका पंचनामा दिनांक 22.4.2017 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी संस्था द्वारा वन विभाग की उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 (गोदावरमन बनाम भारत संघ एवं अन्य) के अनुसार अपीलार्थी इस वन भूमि पर नियमन करने की पात्रता नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(आशासम डूडी)
28.03.18
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही